-169-

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

सत्यमेव जयते

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र,
Regional Office, Western Region,
"केन्द्रीय पर्यावरण भवन"
"Kendriya Paryavaran Bhavan
लिन्क रोड नं0–3,Link Road No. 3
E-5, रविशंकर नगर/Ravi Shankar Nagar,
भोपाल (म0प्र0)/Bhopal-462016 (M.P.)
फोन– 2466525, 2463102, 2465496
अणुडाक /E-mail: rccfbhopal@gmail.com

क्रमांक: 6-MPB148/2009-BHO/ 2686

दि0-30-10-2009,

प्रति,

प्रधान सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वन विभाग, वल्लभ भवन,
भोपाल (म0प्र0) ।

विषय: जिला शिवपुरी / श्योपुर के अन्तर्गत संरक्षित वन की 2.5875 हे0 वनभूमि विजयपुर दादरी गैस पाईप लाईन योजना हेतु महाप्रबंधक, गेल इण्डिया लिमिटेड, नोयडा को उपयोग पर देने बाबत् ।

संदर्भ: 1. इस कार्यालय का पत्रांक 6–एमपीबी 148 / 2009–बीएचओ / 2566 दिनांक 15 / 10 / 2009
2 अपर प्रधान मु0व0सं0(भू–प्रबंध),एवं नोडल अधिकारी, म0प्र0 का पत्रांक एफ–5 / 567 / 08 / 10–11 / 2402 दिनांक 29 / 10 / 2009

महोदय,

कृपया अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, मंध्यप्रदेश के उक्त विषयक पत्रांक एफ–5 / 567 / 08 / 10–11 / 2292 दिनांक 09 / 10 / 2009 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन का अनुरोध किया गया था ।

उक्त वनभूमि के उल्लिखित उद्‌देश्य हेतु प्रत्यावर्तन के लिए, इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा, उसमें लगायी गयी शर्तो के अधीन, सिद्धान्ततः सहमति दी गयी थी ।

उपरोक्त संदर्भित पत्र (2) द्वारा नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन ने उक्त शर्तो की पूर्ति का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । अतः अधोहस्ताक्षरी द्वारा केन्द्र सरकार की ओर से 2.5875 हे0 वनभूमि विजयपुर दादरी गैस पाईप लाईन योजना हेतु महाप्रबंधक, गेल इण्डिया लिमिटेड, नोयडा को वनेत्तर उपयोग के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तो पर औपचारिक अनुमोदन किया जाता है:–

1. वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।

2. वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर 5.20 हे0 अवक्रमित वनभूमि (वनखण्ड एवं कक्ष क्रमांक 931, ग्राम पंचायत–सकलपुर, तहसील–शिवपुरी, जिला–शिवपुरी) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा ।

3. परियोजना के अन्तर्गत उपयोगकर्ता अभिकरण से प्राप्त समस्त निधि केम्पा (CAMPA) को कार्पोरेशन बैंक, ब्लाक 11, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, फेस–I, लोदी रोड, नई दिल्ली–110 003 में स्थित खाता संख्या CA 1580 में हस्तांतरित की जायेगी ।

....2

4. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (EIA) अधिसूचना, 2006 के अन्तर्गत यदि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से स्वीकृति की आवश्यकता हो तो स्वीकृति ली जायेगी ।

5. पाईपलाईन को भूमि सतह से कम से कम 1 मीटर नीचे डाली जायेगी तथा सतह को पूर्व की स्थिति में कार्योपरान्त लाया जायेगा ।

6. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा ।

7. राज्य सरकार द्वारा लगाई गई अन्य कोई शर्त । अतिरिक्त शर्त लगाये जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा इसकी सूचना इस कार्यालय को दी जायेगी ।

भवदीय,

(प्रदीप वासुदेव)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:

1. उप सचिव(एफ0सी0) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू–सर्वे) एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश वन विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
3. वनमण्डलाधिकारी, शिवपुरी वनमण्डल, जिला–शिवपुरी, मध्यप्रदेश ।
4. वनमण्डलाधिकारी, श्योपुर वनमण्डल, जिला–श्योपुर, मध्यप्रदेश ।
5. महाप्रबंधक, गैल इण्डिया लिमिटेड नोयडा (उत्तरप्रदेश) ।
6. आदेश पत्रावली ।

(प्रदीप वासुदेव)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश भोपाल

30/10/09

873
3/11/09